उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-4

संख्या- 2106 /नौ-4-15-55ई/2015

लखनऊः दिनांक- 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-27-04-2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3 (7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2. मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक-27-04-2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के पूर्व शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-28;04;2012 में यह आदेश पारित किये गये थे कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों के सम्बन्ध में जब तक कोई निर्देश प्रसारित न किये जाये तब तक पदावनति की कार्यवाही न की जाय। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अब कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-21.08.2015 के प्रस्तर-6(क) के अनुसार निम्नवत कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैः-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 08-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8 क लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

3. कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक-21.08.2015 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र संख्या-3/6578सा/22-सा0जे0ई0/89 दिनांक-28.09.2007 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित आरक्षण का लाभ प्राप्त कर दिनांक-28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक-15-11-1997 के बाद पदोन्नत निम्न अभियन्ताओं को सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती	पदावनत पद का नाम
1	2	3	4	5
1	आनन्द कुमार	सहायक अभियन्ता	नगर निगम, मेरठ	अवर अभियन्ता
2	चन्द्र पाल सिंह	सहायक अभियन्ता	नगर निगम, अलीगढ़	अवर अभियन्ता
3	शिव पाल सिंह	सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध जिलाधिकारी कार्यालय, रामपुर	अवर अभियन्ता
4	हरीन्द्र प्रसाद	सहायक अभियन्ता	नगर पालिका परिषद, हरदोई	अवर अभियन्ता
5	रमाशंकर राम	सहायक अभियन्ता	नगर निगम, फिरोजाबाद	अवर अभियन्ता
6	भारती फूल चन्द्र पतरू	सहायक अभियन्ता	नगर निगम, कानपुर	अवर अभियन्ता

4. पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियां (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियां तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक प्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियां इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

5. आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त करेंगे।

6. पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल नहीं होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नही होगा।

7. अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नही की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

8. उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियॉ उपलब्ध होंगी, उन पर वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

9. पदावनत के फलस्वरूप श्री आनन्द कुमार, श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री शिव पाल सिंह, श्री हरीन्द्र प्रसाद, श्री रमाशंकर राम व श्री भारती फूल चन्द्र पतरू का नाम उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-24.01.15 से उनकी पदावनत के कारण स्वतः हटे हुए समझे जायेगें तथा उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-28.09.07 में उनका वरिष्ठता क्रमांक यथावत बना रहेगा।

10. उक्त पदावनत अवर अभियंताओं की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगे।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या- 2106 (1)/नौ-4-15-55 ई/2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़ व फिरोजाबाद ।
3- जिलाधिकारी रामपुर/हरदोई
4- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर/हरदोई।
5 सम्बन्धित अभियन्तागण।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।